

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 35/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

का.आ ..... बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सूचना प्राप्तकर्ताओं के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त या उन पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं.	सूचना प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता	सूचना संख्या और तारीख	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम	प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बीएसएच हाउसहोल्ड अप्लायंसेज मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, एरिना हाउस, प्लॉट संख्या 103, रोड संख्या 12, एमआईडीसी अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093	03/सीजीएसटी/एमई/ डीआईवीएक्स/एसयूपीडीटी/बीएस एच 2022-23 तारीख 16.03.2023 फा.सं.सीजीएसटी-ए2/एमयूएम/जी 29/बीएसएच/5693/5335/2021 /9893 से 9896 तारीख 16.03.2023 द्वारा जारी	अधीक्षक, डिवीजन-एक्स, सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई पूर्व, मुंबई	संयुक्त या अपर आयुक्त, केन्द्रीय कर, बेंगलुरु दक्षिण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तालय

2.	बीएसएच हाउसहोल्ड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, चौथी मंजिल, दक्षिणी टावर केआरएम प्लाजा, संख्या 2 हैरिंगटन सडक, चेटपेट, चेन्नई-600031	02/2023-जीएसटी सीएच.एन (एडीसी) तारीख 27.03.2023 सी.सं. जीइएक्ससीओएम/एडीजेएन/ जीएसटी/एडीसी/684/2022 तारीख 27.03.2023 द्वारा जारी	अपर/आयुक्त सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क चेन्नई उत्तर
3.	बीएसएच हाउसहोल्ड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड नंबर-8, जीएफ और एफएफ 15 क्रॉस, जेपी नगर, 6 फेज़, शहरी बेंगलुरु, कर्नाटक-560078	58/2022-23- तारीख 03.03.2023 सी.सं. जीइएक्ससीओएम/एडीजेएन/ जीएसटी/एडीसी/721/2022- एडीजेएन तारीख 03.03.2023 द्वारा जारी	संयुक्त/अपर आयुक्त केंद्रीय कर, बेंगलुरु दक्षिण केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तालय

[फा.स. सीबीआईसी-20016/16/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)  
निदेशक